



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1866]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931

No. 1866]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2009

का.आ. 2884(अ).—दिनांक 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1519(अ) को 31 मार्च, 2010 तक अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जी एम संसाधित खाद्यों के विनियम के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो पहले हो, आस्थगित किया जाता है।

[फा. सं. 13/16/2007-सीएस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और धण्डारण नियमावली, 1989 को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की सं. सां.का.नि. 1037(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की सं. का.आ. 677(अ) की अधिसूचना के तहत अस्तित्व में आई और बाद में दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सं. सां.का.नि. 493(अ) और दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सं. सां.का.नि. 616(अ) दिनांक 23 अगस्त, 2007 की सं. का.आ. 1519(अ), सं. का.आ. 411(अ), दिनांक 25 फरवरी 2008, सं. का.आ. 2519(अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 और सं.का.आ. 800(अ), दिनांक 17 मार्च, 2009 की अधिसूचनाओं के तहत इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2009

S.O. 2884(E).—Notification No. S.O. 1519(E) dated 23rd August, 2007 is kept in abeyance till 31st March, 2010 or until issue of further notification by the Ministry of Health and Family Welfare regarding regulation of GM processed foods by the Food Safety and Standards Authority, whichever is earlier.

[F. No. 13/16/2007-CS-III]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous micro-organisms/ Genetically engineered organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1037(E), dated the 5th December, 1989 which came into force vide notification S.O. 677(E), dated the 13th September, 1993, and subsequently were amended vide notification numbers G.S.R. 493 (E), dated the 14th July, 2005, G.S.R. 616(E), dated the 20th September, 2006, S.O. 1519(E) dated 23rd August, 2007, S.O. 411(E) dated 25th February, 2008, S.O. 2519(E) dated 3rd October, 2008 and S.O. 800(E) dated 17th March, 2009.